1

26/10/15 पत्रावली पेश की वकील साधन की बहस सुनी गई। वकील साधन का कहना है कि गे. को. आराध रा.न. 3506/0.46 मृत के प्रार्थी का 1/6 व अन्य का 5/6 है प्रार्थी गणत संगत जो उस का हक पमीन को बेचना चाहता है और मुझे धमकी देता है कि 1/6 हिस्से की मार्फत का मुझे दे दो अन्यथा पूरे हिस्से को 50 वर्ष को बेच दूंगा। यदि गे. को. उपर स्थिति में लागयाद हो गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः गैरसाधनान को धारा आदेश

Scanned by CamScanner

निर्णय पारित करवाया जावे।
वकील साहब की बहस का मनन
किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध
विकल्पों का अवलोकन किया गया।
मुसाफिर जमाबन्दी सन 2066-69
खाता सं. 71 के चरण में दर्ज 1/6 हिस्से
का काश्तकार व खातेदार है।
पृथक दृष्टया साधमान के पक्ष में
प्रकरण प्रतीत होता है।

अतः पारित अस्थाई निषेधाज्ञा
ना-फरमा दावा गै.का. को ग्राम
आरेड़ा की आ.खा. 3506/0.46 हे. के
साधन के हिस्सा 1/6 को रहन बय
नहीं करने तथा कब्जे काश्त में
अनावश्यक मदाखलत नहीं करने हेतु
पाबन्द किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो बाद तकमील आमेज
दावा हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन